आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- md@idabihar.com Web- www.idabihar.com /Phone: 0612-2675934, 2675933 Fax: 2675935

का0आ0सं0– IDA/OO/ **04** /26

कार्यालय आदेश

दिनांक– 01.07.2025 को प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0 की अध्यक्षता में विकास परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में Plug & Play, Sikandarpur, Bihta (Phase-1) की भी समीक्षा की गई। उक्त स्थल के शेड में चल रहे उद्योगपतियों को भी इस समीक्षा बैठक में सम्मिलित किया गया था। समीक्षा बैठक में उद्योगपतियों द्वारा नवनिर्मित Plug & Play शेड में बरसात के दौरान भारी मात्रा में पानी लिकेज होने एवं फैक्ट्री के अंदर जल जमाव होने एवं इसके कारण मशीन एवं उत्पादों को हो रहे भारी नुकसान की शिकायत की गई। प्राप्त शिकायत के आलोक में प्रबंध निदेशक द्वारा इस परियोजना से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि लिकेज ठीक करने का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय एवं कार्य में हुए व्यय का नुकसान संवेदक के द्वारा जमा की गयी Additional Performance Guarantee की राशि से किया जाय। निदेश के अनुपालन में श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) एवं इनसे संबंधित अभियंता/कनीय अभियंता से कार्यालय के पत्रांक–2457/Estt. दिनांक–04.07.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चंदन कुमार सिंह द्वारा दिनांक–07.07.2025 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए अपना पक्ष रखा गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण के बिंदु निम्नवत थे :–

श्री चंदन कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि Plug & Play Prefabricated Shed at I/A Bihta, Patna, Phase-1 का कार्य संवेदक मेसर्स प्रमोद कुमार सिंह कन्सट्रक्सन द्वारा कराया गया है। नवनिर्मित शेड के छत में GI Profile Sheet के साथ Polycarbonate Sheet एवं Air Turbo Ventilator Fan लगाया गया है जो प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Drawing एवं Design के अनुरुप है। Polycarbonate Sheet एवं Air Turbo Ventilator के Sheet का Thermal Expansion तथा Roof Sheet से भिन्न होने के कारण Joint में लगा सिलिकॉन खुल जाने के कारण शेड में पानी रिसाव की समस्या हुई। श्री सिंह ने उद्योगपतियों से प्राप्त परिवाद के पक्ष में तकनीकी खामी के कारण हुए जलजमाव एवं उत्पादों एवं मशीनों को हुए नुकसान की बात को स्वीकार किया। श्री सिंह ने अवगत कराया कि परियोजना का Defect Liability Period 3 वर्षों का है एवं परियोजना में किसी भी तरह की त्रुटियों का निराकरण संवेदक द्वारा अपने खर्च पर किया जाना है। श्री सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि संवेदक के विरूद्ध कारवाई करने में कोई कमी नहीं किया गया है।

श्री चंदन कुमार सिंह द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुएः–

प्रथमतः Polycarbonate sheet एवं Air Turbo Ventilator के Sheet के Joint में लगा Silicon के खुलने का कारण स्पष्टतः उनकी गुणवत्ता की कमी तथा Low level of workmanship पाया गया। **द्वितीय,** इस कार्य के दौरान कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा पर्यवेक्षण का पूर्णतः अभाव प्रदर्शित पाया गया।

तृतीय, इस प्रकार के Technical त्रुटियों के लिए संवेदक से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके विरूद्ध कारवाई की जानी चाहिये थी, परन्तु ऐसा कोई कारवाई कार्यपालक अभियन्ता द्वारा नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया।

असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्ति के बाद कार्यपालक अभियन्ता को कार्य सुधार करने का दूसरा मौका दिया गया। पुनः श्री सिंह से इस कार्यालय के पत्रांक–2757/Estt. दिनांक–22.07.2025 द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण मांगा गया जिसमें 03 दिनों के अंदर सुस्पष्ट प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया एवं यह चेतावनी भी दी गई कि इस कृत्य के लिए क्यों न प्राधिकार से इनकी सेवा को terminate कर दिया जाए। कार्यपालक अभियंता श्री चंदन कुमार सिंह द्वारा अपना दूसरा स्पष्टीकरण दिनांक–25.07.2025 को समर्पित किया गया जो अनुलग्नक सहित कुल 36 पृष्ठों का था। श्री सिंह के द्वितीय स्पष्टीकरण के बिन्दु इस प्रकार हैं:–

श्री सिंह का एक बार पुनः यह कथन था कि Construction of Plug & Play Prefabricated Shed at I/A Bihta, Patna, Phase-1 का कार्य संवेदक मेसर्स प्रमोद कुमार सिंह कन्सट्रक्शन द्वारा कराया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसे दिनांक–20.12.2023 को बियाडा को हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतरण के बाद भी 03 वर्षों के लिए इसके रख रखाव का दायित्व संवेदक का था। शेड हस्तांतरण के लगभग पाँच माह बाद दिनांक–10.04.2025 को बियाडा द्वारा कार्यपालक अभियंता को शेड में हुई समस्याओं के संबंध में सूचना मिली एवं दिनांक–11.04.2025 एवं इनके द्वारा परियोजना के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया तथा संवेदक को पत्रांक–1373/PDA दिनांक–15.04.2025 द्वारा त्रुटियों का निराकरण करने का निदेश दिया गया, परन्तु संवेदक द्वारा निदेश की अवहेलना करते हुए कोई कारवाई नहीं की गई। इनके द्वारा पुनः पत्रांक–2444/PDA दिनांक–04.07.2025 द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। श्री सिंह द्वारा यह भी लिखा गया कि उनके पत्रांक–2670/PDA दिनांक–17.07.2025 द्वारा संवेदक को Blacklist एवं Forfeit की चेतावनी देते हुए कार्य पूर्ण करने को कहा गया।

दिनांक 16.07.2025 को प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा स्थल का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान निदेश दिया गया कि Plug & Play Shed में पानी के रिसाव को अतिशीघ्र ठीक करा दिया जाय, परन्तु लंबी अवधि व्यतीत होने पर भी समस्या का निराकरण नहीं हो सका। इससे स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य के निष्पादन में किसी प्रकार की रूचि नहीं ली गई तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पुनः इनके द्वारा यह बताया गया कि बरसात के कारण जल रिसाव हो रहा है तथा defect liability period (DLP) अवधि के दौरान भी संवेदक द्वारा त्रुटियों का निराकरण नहीं कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण परियोजना के गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। साथ ही, उनके द्वारा कार्य में लापरवाही/वरीय

पदाधिकारी के निदेश का उल्लंघन, अनुशासनहीनता तथा सरकारी कार्य में अरूचि बरती गई है। कई बैठकों में सुधार करने के निदेश देने के बावजूद श्री सिंह के कार्यशैली में कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हो पाया है। स्पष्ट निदेश के बाद भी उनके द्वारा संबंधित संवेदक के विरूद्ध अद्यतन कोई कारवाई नहीं की गई है।

श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) के पद पर प्राधिकार में दिनांक–31.07.2018 से कार्यरत हैं। इनके अधीन कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इनके द्वारा पटना एवं वैशाली जिला के परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। श्री सिंह बिहटा स्थित Plug & Play Shed Phase-1 परियोजना के सीधे प्रभार में हैं। प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0 द्वारा दिनांक–01.07.2025 को उक्त कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया एवं वहाँ के उद्योगपतियों से पूर्व से प्राप्त परिवाद की समीक्षा की गई जिसमें परियोजना स्थल पर हो रहे जल रिसाव के कारण स्थल परिसर में हुए जलजमाव एवं इससे हुए मशीनों एवं उत्पादों की क्षति के लिए गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता (पी0डी0ए0) ने कार्य की विफलता के लिए स्वयं को दोषी नहीं मानते हुए संवेदक M/s Pramod Kumar Singh Construction को जिम्मेवार ठहराया है जबकि कार्यपालक अभियंता होने के कारण इस परियोजना के गुणवत्तापूर्ण समाप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी इनकी थी। श्री सिंह को इसमें पूर्ण विफल पाया गया।

इस प्रकार श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) द्वारा दिये गये दोनों स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया। जिसके फलस्वरुप उनके विरूद्ध आई0डी0ए0 सेवा नियमावली, 2007 के भाग–2 की सुसंगत कंडिका के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाता है:–

IDA Regulation, 2007 Part-II की कंडिका 1.4 (a) जिसमें वर्णित है कि:–

"The service of an employee may be terminated by the MD without assigning any reason by a notice of one month in writing to the employee or on payment of one month's pay and allowances in lieu of such notice"

उपरोक्त दंड विधान के आलोक में श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता (पी0डी0ए0) की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही, कंडिका 1.4(a) के आलोक में श्री चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता (पी0डी0ए0) को IDA द्वारा दिये जाने वाले एक माह के Notice Period के अभाव में प्रावधानानुसार एक माह के वेतन तथा अन्य अनुमान्य भत्तों का भुगतान श्री सिंह को करने का निदेश IDA को दिया जाता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से
(संचिका सं0 02/01/Estt./IDA/19 दिनांक– 04-01-2026)
ह0/–
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:– 48/Estt. E-239390 दिनांक:– 06/01/26

प्रतिलिपि:– 1. श्री चन्दन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रबंध निदेशक कोषांग/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/प्रभारी हाउसकीपिंग/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) को सूचनार्थ प्रेषित।

06/01/26
निदेशक (प्रशासन)